

दिनांक-03.12.2019 को 04:00 बजे अपराह्न में हुई बोर्ड की 396वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

- | | |
|--|---------|
| 1. सचिव, उद्योग विभाग-सह-अध्यक्ष
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना | अध्यक्ष |
| 2. उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 3. आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना | सदस्य |

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

5. राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
राज्य कार्यालय-बी० भी० कॉलेज, शेखपुरा, पटना

क्र०

प्रस्ताव

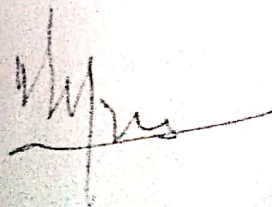
1. खादी मॉल के प्रचार-प्रसार के लिए गिफ्ट कूपन उपहार में देने तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने एवं प्रमुख जगहों पर होर्डिंग लगाने की स्वीकृति देना।

निर्णय

1. दिनांक-05.12.2019 को खादी मॉल के बारे में विस्तृत जानकारी आम जनता को देने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाय। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया कर्मी को बुलाकर खादी मॉल में उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक, बिक्री तथा खादी संस्थाओं एवं अन्य को भुगतान की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ₹0 2000/- (दो हजार) का 50 गिफ्ट कूपन मीडिया कर्मियों को प्रचार-प्रसार हेतु दिया जाय।

2. खादी के प्रचार-प्रसार हेतु तथा खादी मॉल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुँचे, इसके लिए पटना के प्रमुख जगहों पर होर्डिंग लगाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई साथ ही इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई कि होर्डिंग 15 दिनों के लिए लगाया जाय तथा इस पर आने वाले व्यय ₹0 5.27 लाख पर स्वीकृति प्रदान की गई।



2. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा नव-निर्मित खादी मॉल का कार्यावधि की स्वीकृति देना।

3. नव-निर्मित खादी मॉल सुचारु संचालन हेतु Out Sourcing के माध्यम से रखे गये कार्य बल यथा बिक्री कार्य/बिलिंग कार्य/सफाई कार्य एवं सुरक्षा प्रहरी की सेवा की स्वीकृति देना।

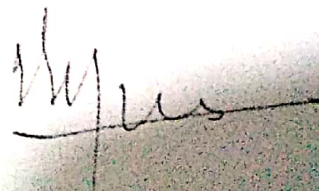
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा संचालित नव-निर्मित खादी मॉल की कार्यावधि सुबह 11.00 से 9.00 बजे रात्रि तक सप्ताह के सातों दिन खुला रखने का निर्णय लिया गया।

नव-निर्मित खादी मॉल के सुचारु रूप से संचालन हेतु बियाडा द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) एजेन्सी Kunal Cleaning Services, Kannulal Road, Mithapur, Patna-1 से बिलिंग ऑपरेटर-2, Salesman-18 एवं सफाई कर्मी-5 लिया गया है।

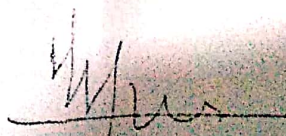
बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि बियाडा द्वारा सूचीबद्ध एजेन्सी से अगले दो माह तक Service लिया जाय, दो माह के उपरान्त Tender निकालकर Tender के माध्यम से न्यूनतम दर वाले एजेन्सी से खादी मॉल संचालन के लिए कर्मियों की सहायता ली जाय साथ ही दर निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पटना में स्थित उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुशंधान संस्थान, पटना एवं विभिन्न मॉलों का सर्वे कर उसमें कार्यरत कर्मियों का दर लिया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि मॉल में कार्य करने वाले कर्मियों को कम मजदूरी देकर शोषण न किया जाय तथा ये भी सुनिश्चित किया जाय कि अधिक दर का भी भुगतान न किया जाय।

4. जिला में अवस्थित खादी बोर्ड द्वारा संचालित खादी भवन, अतौला, अरवल, खादी भवन, भागलपुर एवं खादी भवन, छपरा को बंद करने तथा नालन्दा जिला के राजगीर एवं गया जिला के बोधगया में नया खादी भवन खोलने की स्वीकृति देना।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी बिक्री शो-रूम (भवन) अतौला, भागलपुर एवं छपरा को बन्द करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि जहाँ भवन का बिक्री संतोषजनक से काफी कम है, उस बिक्री केन्द्र को बंद कर दिया जाय एवं बोधगया में एक नया बिक्री केन्द्र खोला जाय साथ ही CEO को निदेश दिया गया कि गया के D.M से मिलकर बोधगया में भी एक बिक्री केन्द्र खोलने की कार्रवाई किया जाय एवं छपरा एवं भागलपुर के बिक्री केन्द्र को मुख्य रोड पर या बाजार में स्थानांतरित किया जाय।



5. नव-निर्मित खादी मॉल के लिए Out Sourcing के माध्यम से कार्यवल कहल करने हेतु निविदा प्रकाशन की स्वीकृति देना।
नव-निर्मित खादी मॉल में Out Sourcing के माध्यम से कार्यवल कहल करने हेतु निविदा प्रकाशन को लागू कर प्रकाशित करने का अनुमोदन किया गया। निविदा प्रकाशित कर कार्यवल लेने हेतु एजेन्सी का चयन किया जाय। यह प्रक्रिया दो माह में पूर्ण की जाए।
6. नव-निर्मित खादी मॉल के लिए प्रान्तीय एवं अन्य प्रान्तीय खादी एवं ग्रामोद्योगी संस्थाओं से खरीद, विक्री एवं भुगतान किये जाने की स्वीकृति देना।
राज्य के 55 एवं राज्य के बाहर 6 संस्थाओं से खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं को Consignment के आधार पर सामग्री लिया गया है। निर्माण-25.11.2019 तक 227.60 लाख की विक्री हुई तथा इसके विरुद्ध 136.58 लाख का भुगतान किया गया है। शुरुआत के दिनों में ग्राहकों का भी पीड़ होने एवं Billing Machine सिर्फ 3 रहने के कारण Manual भी रसीद काटा गया है। इस Billing को Billing Software में Digitilisation करने का निर्णय लिया गया।
बिहार खादी संस्थाओं के अनुरोध पर विचार-विमर्श के उपरान्त बोर्ड में यह निर्णय लिया गया कि संस्थाओं के द्वारा दिये गये सामग्रियों के विरुद्ध 25% राशि का भुगतान किया जाय। इस राशि का भुगतान खादी मॉल/भवन में उपलब्ध राशि से की जायेगी। यह व्यवस्था 03 महीने के लिए लागू के उपरान्त पुनः इसपर विचार किया जाय।
7. बिहार खादी के प्रचार-प्रसार एवं विक्री के लिए गुवाहाटी (असम) में Buyer Seller Meet का आयोजन करने की स्वीकृति देना।
जनवरी, 2020 के द्वितीय सप्ताह के शनिवार से 10 दिनों के लिए गुवाहाटी (असम) में Buyer Seller Meet का आयोजन करने की स्वीकृति दी गई, इसके लिए 15.00 लाख रुपये विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
8. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नव-निर्मित खादी मॉल के तृतीय तल पर स्थित कैफेटेरिया/रेस्टुरेन्ट का RFP की स्वीकृति देने के संबंध में।
खादी मॉल के तृतीय तल पर स्थित कैफेटेरिया को लीज पर देने हेतु निविदा/RFP निकालने हेतु अनुमोदन दिया गया। इस प्रारूप को विभागीय/बोर्ड के अधिवक्ता से दिखाकर परामर्श प्राप्त कर ली जाय। सुधा डेयरी प्रोडक्ट COMFED के लिए काउन्टर बनाकर शीघ्र चालू करने का निर्णय लिया गया।



9. 3000 नग न्यू मॉडल चरखा क्रय करने हेतु RFP पर अनुमोदन देने की स्वीकृति देना।
बोर्ड बैठक में 3000 नग न्यू मॉडल चरखा क्रय करने हेतु संशोधित RFP की स्वीकृति दी गई।

10. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति देना।
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में रिक्त पदों पर उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी एवं वरीय अंकेशन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु उद्योग विभाग को पत्र लिखा जाय।

11. अन्य राज्यों से खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं को क्रय करने की स्वीकृति देना।
खादी मॉल का कुल एरिया 25,200 वर्गफीट है, जिसमें 18,000 वर्गफीट में Sales Area, 4,200 वर्गफीट वेयर हाउस एवं 3,000 वर्गफीट कैफेटेरिया है। इस मॉल में काफी मात्रा में ग्राहक आ रहे हैं, इसलिए मॉल में वस्तुओं की विविधता बनाये रखने हेतु अन्य राज्यों के खादी बोर्ड को खादी एवं ग्रामोद्योगिक सामग्रियों को देने हेतु पत्र लिखा जाय।

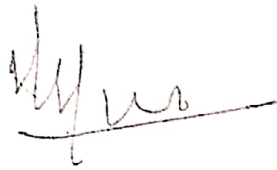
12. दिनांक-23.09.2019 को हुई स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को संपुष्ट करना।
दिनांक-23.09.2019 को हुई स्थापना समिति की बैठक को संपुष्ट की गई। संपुष्ट के क्रम में निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

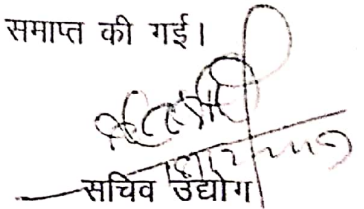
1. श्री प्रमोद किशोर, सेवानिवृत्त बिक्रीकार से माल घटती, गबन एवं जालसाजी की राशि ₹0-11,24,601/- उनके सेवान्त लाभ (उपादान, अव्यवहृत उपार्जित अवकाश, अंशदायी भविष्य निधि एवं बचत समूह गुप बीमा) की राशि से वसूल किया जाय। यदि इसके बाद भी श्री प्रमोद किशोर पर राशि निकलता है तो उनके विरुद्ध Public Demand Recovery Act के तहत दर्ज कर राशि की वसूली की जाय।
2. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं भवन में कार्यरत कर्मचारियों को जिनका प्रोन्नति बकाया है अगले पद के वेतनमान में प्रोन्नति दे दी जाय।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्यान्य विषय

1. बिहार में कार्यरत सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार खादी के प्रचार-प्रसार हेतु बिहार खादी का लोगो (Logo) युक्त शर्ट देने की स्वीकृति।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।




सचिव उद्योग

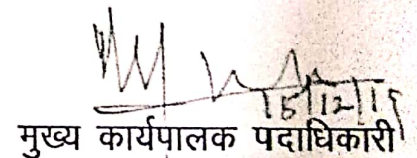
—सह—अध्यक्ष

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

ज्ञापांक— ५४/६०१

प्रतिलिपि :-सचिव, उद्योग विभाग—सह—अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बी०भी० कॉलेज, शेखपुरा, पटना/G.T. India LLP Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

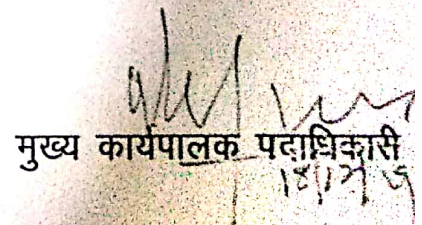
पटना, दिनांक— १९/१२/२०१९


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक— ५४/६०१

पटना, दिनांक— १९/१२/२०१९

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०)/सभी सहायक लेखा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी